कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)

e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

---

क्रमांक / 237 / आउशि / 2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7.11.2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाना।

संदर्भः– छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–32 / 2020 / 38–1 दिनांक 26.10.2020. एवं इस कार्यालय का पत्र दिनांक 26.10.220..

–0–

शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 01.11.2020 से शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करने संबंधी निर्देश की प्रति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 5.11.2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की गई थी। महाविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु दिनांक 26.10.2020 का समस्त क्षेत्रीय अपर संचालकों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारविमर्श किया गया। तदनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैंः–

- महाविद्यालयों में जिन विषयों के प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक कार्यरत है उन विषयों का अध्यापन महाविद्यालय स्तर से ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। इस हेतु प्राचार्य अपने महाविद्यालय की समय सारणी निर्धारित करें तथा विषय शिक्षक निर्धारित समय पर ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। निर्धारित समय सारणी अभिलेख के रूप में रखें। संचालनालय द्वारा इसका अकादमिक अंकेक्षण करवाया जाएगा।

- समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को निर्धारित मुख्यालय पर रहना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वालों के विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए या कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जाए।

- सभी विषयों के पाठ्यक्रम पूर्ववत मान्य होंगे तथा निर्धारित यूनिट के अनुसार क्रमशः अध्यापन कराना होगा।

- जिन विषयों के पद रिक्त हैं उनका अध्यापन संभाग स्तर से संचालित एकीकृत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर के क्षेत्रीय अपर संचालक, नोडल अधिकारी हांगे। बस्तर संभाग में शिक्षकों की कमी को देखते हुए कांकेर एवं नारायणपुर जिले के महाविद्यालय दुर्ग संभाग की एकीकृत ऑनलाइन कक्षाओं एवं कोण्डागांव, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के महाविद्यालाय रायपुर संभाग की एकीकृत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। रायपुर अपर संचालक, दुर्ग अपर संचालक एवं बस्तर अपर संचालक यह व्यवस्था आपसी तालमेल एवं समन्वय से सुनिश्चित करेंगे।

- संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक प्रत्येक सप्ताह की अग्रिम समय सारणी तैयार कर सभी महाविद्यालयों को पूर्व सूचना भेजेंगे। एकीकृत ऑनलाइन कक्षाओं की समय सारणी में नियत कालखण्डों के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों द्वारा ली जाने वाली कक्षाओं की समय सारणी निर्धारित की जाएगी।

7/11

- सभी ऑनलाइन कक्षाएं लाइव मोड में संचालित की जाएंगी। केवल वीडियो चलाकर कक्षा लेना प्रतिबंधित होगा। विद्यार्थियों से इंटरएक्शन भी आवश्यक होगा

- नियत समय सारणी के अनुसार कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को समय पर लिंक भेजकर एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

- महाविद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों को यह नोटिस भी निरन्तर प्रेषित किया जाएगा कि ऑनलाइन कक्षाओं में निर्धारित उपस्थिति से कम प्रतिशत होने पर विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया जाए।

- विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करने की दृष्टि से क्षेत्रीय अपर संचालकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का निर्णय संबंधित संकाय सदस्यों से चर्चा करके किया जा सकेगा एवं तदनुसार समय सारणी में अतिरिक्त कक्षाएं जोड़ी जा सकेंगी। संभाग स्तर से ली जाने वाली एकीकृत ऑनलाइन कक्षाएं सुविधानुसार क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय अथवा जिले के अग्रणी महाविद्यालयों से संचालित की जाएंगी। स्थानीय परिस्थिति के आधार पर अन्य महाविद्यालयों से भी एकीकृत ऑनलाइन कक्षाएं लेने की अनुमति संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक द्वारा दी जा सकेगी एवं उनकी मानीटरिंग करना क्षेत्रीय अपर संचालक का कार्य होगा।

- एकीकृत ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन संबंधी कार्यों(समय सारणी तैयार करना, संकाय शिक्षक विहीन महाविद्यालयों को समय सारणी भेजना, ऑनलाइन कक्षाओं की मानीटरिंग और विविध जानकारी का आदान–प्रदान करने हेतु) में सहयोग हेतु अस्थायी अमले को इस कार्यालय की सहमति से क्षेत्रीय अपर संचालकों द्वारा संलग्न किया जा सकेगा।

- संदर्भित निर्देश के पालन में दिनांक 02.11.2020 से 05.11.2020 तक संचालित ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र में अग्रणी महाविद्यालयों के माध्यम से इस कार्यालय को तत्काल भेजते हुए सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- उपर्युक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

कोविड–19 की स्थिति से निपटने हेतु विशेष प्रयास में यह व्यवस्था बनाई जा रही है। अतः उच्चतम लगन, समर्पण एवं संकल्प के साथ उत्कृष्टता का ध्यान रखते हुए सभी संबंधितों का सहयोग आवश्यक है।

7/11

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. कमांक/238/आउशि/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.11. 2020

प्रतिलिपिः

1. सचिव, छ..ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. समस्त अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, —————————छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।

7/11

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)